

संख्या: 14/16/270

तिथि: 03/08/2023

पावती समय: 02:47 PM

हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग हेतु

अतारांकित प्रश्न

विषय सीआईए की जानकारी देने बारे।

सूचना प्राप्ति दिनांक 03/08/2023

मंत्री: श्री. अनिल विज

प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में

प्राथमिकता, यदि कोई हो

प्रेषक:

श्री नीरज शर्मा(86) , सदस्य

सेवा में

सचिव,

हरियाणा विधान सभा,

Delhi-1.

महोदय,

अतारांकित प्रश्न

भवदीय,

श्री नीरज शर्मा(86)

सदस्य

03/08/2023 02:47 PM

निर्वाचन क्षेत्र संख्या व नाम: 86 फरीदाबाद एनआईटी

गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

1. हरियाणा में सी.आई.ए के कितने थाने हैं तथा पुलिस थानों एवं सीआईए थानों में क्या अंतर होता है। थानों के नाम सहित जिलेवार ब्यौरा दिया जाए।
2. सी.आई.ए थानों को बनाने का क्या उद्देश्य है तथा सी.आई.ए थानों में जिस हथियार/औजार से प्रताड़ित किया जाता है क्या वह मानवधिकारी आयोग से पास है।
3. क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश अनुसार जिसप्रकार पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसी प्रकार सीआईए थानों में सीसीटीवी कैमरे हैं या नहीं, अगर नहीं है तो कबतक लगाए जाएंगे।
4. पुलिस थानों से सीआईए जब किसी को लेकर जाती है तो उसका क्या प्रोसिसर होता है तथा क्या बिना लिखित अनुमति के पुलिस थाने से सीआईए किसी व्यक्ति को लेकर जा सकती है।
5. क्या सीआईए का एरिया निर्धारित होता है तथा सीआईए जब किसी एरिया में जाती है तो उसकी सूचना किस अधिकारी को देते हैं। सम्बन्धित थाने को सूचना दी जाती है या नहीं।
6. जनवरी 2015 से 30 जुलाई 2023 तक सीआईए की कस्टोडी में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जिलेवार (सीआईए थानों वाईज) ब्यौरा दिया जाए।